फारम सं0-563

आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

23 अभिलेख उपस्थापित।

(1.) ओम प्रकाश पासवान, (2.) शिवशंकर पासवान एवं (3.) राजेन्द्र कुमार पासवान तीनों के पिता स्व0 रामेश्वर राम, निवास स्थान कोर्रा, थाना-सदर हजारीबाग, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-1328, रकबा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुशीला देवी पति प्रेमनाथ पासवान, निवास स्थान कोर्रा, थाना-सदर हजारीबाग, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22037150 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-862/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6515/रा0 दिनांक 24.12.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 287 दिनांक 13.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत रामटहल दुसाध हैं। केवाला में खरीदगी भूमि 1.13 एकड़ है तथा खतियान में भूमि का कुल रकबा 10.22 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 1.01 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-2/II पर ऑनलाईन में मोहन राम, रामेश्वर राम एवं रामचन्द्र राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीदवर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदकगण के पिता वगै0 जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 97डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) ओम प्रकाश पासवान, (2.) शिवशंकर पासवान एवं (3.) राजेन्द्र कुमार पासवान तीनों के पिता स्व0 रामेश्वर राम, निवास स्थान कोर्रा, थाना-सदर हजारीबाग, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-1328, रकवा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुशीला देवी पति प्रेमनाथ पासवान, निवास स्थान कोर्रा, थाना-सदर हजारीबाग, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.03.17 13:32:17 +05:30
Location: 192.168.0.101